रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 864] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2011/वैशाख 23, 1933

No. 864] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2011/VAISAKHA 23, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2011

का.आ. 1061(अ).—यतः, मै. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, जो एक निजि संगठन है, ने राजस्थान राज्य में ग्राम भम्भौरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में रत्न एवं आभूषण के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 2 फरवरी, 2011 को अनुमोदन-पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

तालिका

क्र. सं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण/खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भम्भौरिया	1152	0.0070
2.	भम्भौरिया	1167	0.1270
3.		1168	0.2000
4.		1171	0.2600
5.		1172	0.4500
6.		1173	0.3200
7.		1174	0.1880
8.		1186	0.0100
9.		1199	0.0590
10.		1200	0.2670
11.		1202	1.8400
12.		1209	0.1000
13.		1210	4.7160
14.		1211	0.1430
15.		1212	0.1730
16.		1222	0.1080
17.		1223	0.1990
18.		1224	0.0840
19.		1253	0.1990
20.		1254	0.2490
21.		1255	0.2340
22.		1256	0.2030
		कुल	**10.1360 हेक्टेयर**

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14

के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

1. विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
3. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक —सदस्य, पदेन
4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
5. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
6. निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार —सदस्य, पदेन
7. राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
8. जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि —विशेष आमंत्रिती

और यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 13 मई, 2011 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ.-1/34/2010-एसईजेड]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2011

S. O. 1061(E).—Whereas, M/s. Mahindra World City (Jaipur) Limited, a private organisation, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Gems and Jewellery at Village Bhambhoriya, Tehsil Sanganer, District Jaipur in the State of Rajasthan;

And, whereas, the Central Government is satisfied, that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above Special Economic Zone on 2nd February, 2011;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the table, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Village	Survey/ Khasra No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bhambhoriya	1152	0.0070
2.		1167	0.1270
3.		1168	0.2000
4.		1171	0.2600
5.		1172	0.4500
6.		1173	0.3200
7.		1174	0.1880
8.		1186	0.0100
9.		1199	0.0590
10.		1200	0.2670
11.		1202	1.8400
12.		1209	0.1000
13.		1210	4.7160
14.		1211	0.1430
15.		1212	0.1730
16.		1222	0.1080
17.		1223	0.1990
18.		1224	0.0840
19.		1253	0.1990
20.		1254	0.2490
21.		1255	0.2340
22.		1256	0.2030
		Total	**10.1360 Hectares**

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner of the Special Economic Zone —Chairperson ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, —Member, ex-officio

Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India

3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone —Member, ex-officio
4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio
5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio
6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India —Member, ex-officio
7. Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government —Members, ex-officio
8. Representative of the Developer of the zone —Special Invitee

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 13th day of May, 2011 as the date from which the above Special Exonomic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F.-1/34/2010-SEZ]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.